2022/407

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री ललित पुत्र श्री घेवरचन्द निवासी 108 सिपाहियों का वास भैरूघाट पाली मारवाडा जिला पाली।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 81 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.12.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 29.10.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना सिरोही में शहरी रोजगार सहायक(नोन टी.एस.पी. क्षेत्र में) दिव्यांग श्रेणी के कितने पद आरक्षित है एवं दिव्यांग श्रेणी से कितने आवेदकों का चयन हुआ, उनके नाम, स्नातक की प्रतिशत एवं जन्म दिनांक सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 29.10.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना सिरोही में शहरी रोजगार सहायक(नोन टी.एस.पी. क्षेत्र में) दिव्यांग श्रेणी के कितने पद आरक्षित है एवं दिव्यांग श्रेणी से कितने आवेदकों का चयन हुआ, उनके नाम, स्नातक की प्रतिशत एवं जन्म दिनांक से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त सूचना आयुक्त नगर परिषद सिरोही से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन आयुक्त नगर परिषद सिरोही को जरिए पत्र क्रमांक 1443 दिनांक 11.11.2022 को स्थानान्तरित कर दिया था। चूंकि आयुक्त नगर परिषद सिरोही के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय [illegible] फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डा. भंवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner